न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 110/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

जगमीत सिंह पुत्र श्री नाजम सिंह जाति जटसिख उम्र 19 वर्ष, निवासी चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

–– वादी

बनाम

1. नाजम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह
2. जगप्रीत कौर पुत्री श्री नाजम सिंह नाबालिंग जरिये कुदरती वली पिता नाजम सिंह जाति जटसिख निवासीयान चक 8 एच बड़ा, संगतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता हरवीर कौर (वादी)
अधिवक्ता ऋषिपाल जाशी (प्रतिवादी–1, 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.11.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 नाजम सिंह, वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 8 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 63/48 के मुरब्बा नम्बर 23 की 0.791 है. नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 33 की 1.900 है. नहरी कुल 2.691 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी सं. 1 नाजम सिंह पुत्र दर्शन सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है चक 8 एच बड़ा के खाता संख्या 63/48 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी दर्शन सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त में प्राप्त हुई है एवं उक्त विरास्त में प्राप्त हुई कृषि भूमि के विभाजन में प्राप्त हुई, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्तन सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 8 एच बड़ा में वादी के दादाजी दर्शन सिंह के नाम दर्ज कषि भूमि एवं विरास्त सम्पति का विभाजन नामान्तरण संख्या 233/1999 की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र जगमीत सिंह {वादी}) है तथा एक पुत्री जगप्रीत कौर (प्रतिवादी संख्या 2) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का बंटवारा किया हुआ है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि

...कारी (राजस्व)
... (राज.)

Scanned with CamScanner

का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 17/08/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार है प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिंग है जिसे जरिये कुदरती वली पिता पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 63/48 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 12/1(0.127 है.), 13/2(0.031 है.), 16/1(0.228है.), 16/2 (0.025 है. खाला), 17(0.253 है.), 18/1(0.127 है.) कुल 0.791 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे तथा उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदश दिये जावे व लगान अलग अलग कायम किया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 नाजम सिंह पुत्र दर्शन सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 जगप्रीत कौर पुत्री नाजम सिंह नाबालिंग जरिये कुदरती वली पिता नाजमसिंह की ओर से दिनांक 20.10.2020 को ईकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः–वाद पत्र की बिन्दु संख्या 5 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उतरदाता एवं वादी द्वारा पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उतरदाता सहमत है अतः इस मद में वर्णित चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 63/48 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 12/1(0.127 है.), 13/2(0.031 है.), 16/1(0.228है.), 16/2 0.025 है. खाला), 17(0.253 है.), 18/1(0.127 है.) कुल 0.791 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी जगमीत सिंह पुत्र नाजम सिंह की घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उतरदाता को कोई आपति नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 63/48 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 12/1(0.127 है.), 13/2(0.031 है.), 16/1(0.228है.), 16/2 (0.025 है. खाला), 17(0.253 है.), 18/1(0.127 है.) कुल 0.791 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी जगमीत सिंह पुत्र नाजम सिंह की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी (वादी की माता) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 63/48, वादी द्वारा अपने दादा दर्शनसिंह के नाम जमाबंदी सम्वत् 1954–1957 ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा भू.अ. नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 42/36 एवम् खाता संख्या 42/33, नामान्तकरण ग्राम 8 एच बडा, पटवार हल्का संगतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी जगमीतसिंह पुत्र नाजमसिंह को चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 63/48 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 12/1(0.127है.), 13/2(0.031है.), 16/1 (0.228है.), 16/2 (0.025 है. खाला), 17(0.253 है.), 18/1(0.127 है.) कुल 0.791 है. नहरी मय खाल. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.11.2020 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner